


फर्द अहकाम

रामूलाल मीणा बनाम सरकार

संख्या: 92/2023

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम खटवाडा पटवार मण्डल महापुरा भूअ क्षेत्र भाकरोटा के आराजी खसरा नम्बर 708, 773, 774, 775/1, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 कुल किता 17 रकबा 5.64 हैक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लिपिकिय त्रुटिवश रामनारायण पुत्र घनश्याम लिपिकिय त्रुटिवश अंकित हो गया है जिसको रामू लाल मीणा पुत्र घनश्याम मीणा शुद्ध किया जावें। बहस प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं</p> <p>अतः प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर ग्राम खटवाडा पटवार मण्डल महापुरा भूअ क्षेत्र भाकरोटा के आराजी खसरा नम्बर 708, 773, 774, 775/1, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 कुल किता 17 रकबा 5.64 हैक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामनारायण पुत्र घनश्याम के स्थान पर रामू लाल मीणा पुत्र घनश्याम मीणा शुद्ध किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)